

हज़रत महेदी और हज़रत ईसा अले० एक ज़माने में एकत्रित न होने
और ख़ल्मे नबूवत और ख़ल्मे विलायत के अर्थ के विषय में

ख़ुलासतुल कलाम

लेखक

हज़रत अल्लामाह बन्दगी मियाँ
शेख़ अलाई शहीद रहे०

अनुवादक

शेख़ चाँद साजिद

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी
अंजुमने महेदवियह बिलडिंग, चंचलगुडा,
हैदराबाद - ५०० ०२४.

2008



हज़रत महेदी अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला की आयत में से एक आयत (अलामत/निशानी) है जो क्रियामत (महाप्रलय) के लिए शर्त की गई हैं जैसा कि हदीस की किताबों में ज़िकर (चर्चा) किया गया है और "तफ़सीरे हुसेनी" में इस की सराहत (व्याख्या) है अल्लाह तआला के इस फ़र्मान के तहत कि: जिस दिन आजाएगा एक निशान तेरे रब का काम नहीं आएगा ईमान लाना किसी को जो पहले से ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान की हालत में कुछ नेकी नहीं की थी (६:१५८)। क्रियामत की निशानियाँ बहुत हैं उन ही में से एक महेदी अले० हैं। इस आयत से यह वाज़ेह (व्यक्त) होता है कि क्रियामत की शर्तों के ज़ुहूर (प्रकटन) के समय काफ़िरों, मुनाफ़िक़ों और सरकशों (अवज्ञा कारियों) का रहना आवश्यक है इसी लिए तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया है "जिस दिन जाएगा एक निशान तेरे रब का (पूरी आयत)", और काफ़िर के ईमान का आभदायक न होना, फ़ासिक (पापी) की नेकूकारी (सदा चारी), ज़ालिम का ज़ुल्म (अत्याचार) से बाज़ आना और मुनाफ़िक़ का मुखलिस (सदभावक) बन जाना यह सब सूरतें (दशा) कुफ़्र, फ़स्क, जुल्म और निफ़ाक़ के बजूद के बाद ही होती हैं। सहीहुल बुख़ारी में किताब तफ़सीरुल कुरआन में कुरआन की आयत "न काम आयेगा ईमान लाना किसी को" की तफ़सीर में एक हदीसे सहीह (प्रामाणिक हदीस) लिखी गई है की बयान किया हम से मूसा बिन इस्माईल ने, कहा हम को ख़बर दी अब्दुल वाहिद ने, कहा हम को ख़बर दी अमारा ने कहा हम को ख़बर दी अबू हुरेरा रज़ी० ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़रमाया कि क्रियामत (उस समय तक) बर्पा (घटित) नहीं होगी जब तक कि सूरज अपने मगरब (डूबने के जगह) से ना निकले, जब लोग उस के देखेंगे तो सब (धर्म इस्लाम पर) ईमान लायेंगे और उस समय ईमान लाना किसी को काम नहीं आएगा जो पहले से ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान की हालत

में कुछ नेकी नहीं की थी। इसी प्रकार बुखारी में है कि बयान किया मुझ से इस्हाक़ ने कहा ख़बर दी हम को अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने कहा हम को ख़बर दी मुअम्मर ने हमाम की रिवायत से और वह रिवायत करते हैं अबूहुरैरा रज़ी० से कि उन्होंने ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़रमाया कि क्रियामत का घटन नहीं होगा जब तक कि सूरज अपने डूबने की जगह से न निकले, तो जब लोग उस को (मगरब से निकलता हुआ) देखेंगे तो सब के सब ईमान लायेंगे जब कि उस समय ईमान लाना किसी को काम नहीं आएगा जो पहले से ईमान नहीं लाया था, फिर आंहरत सल्ला० ने यह आयत पढ़ी, **“यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका” — औ कसबत फ़ी ईमानिहा ख़ैरा। (६:१५८)**

बाज़ उलमा का कहना है कि महेदी और ईसा अले० दोनों एक ज़माने में होंगे और वह यह भी कहते हैं कि महेदी अले० भी इमाम हैं और ईसा अले० भी इमाम हैं क्यों कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़रमाया है कि ईसा अले० ख़लीफ़ा होकर मेरी उम्मत पर नाज़िल होंगे। यह क़ौल (कथन) कि दो इमामों का एक ज़माने में जमा (एकत्र) होना सहीह (उचित) हैं राफ़ज़ियों (शेओं की एक जमाअत) का क़ौल है अल्लाह उन को दोजहाँ में रुस्वा करे। जैसा कि यह बात इलमे कलाम की किताबों में स्पष्ट है और रिसाला “अक़ीदए हाफ़िज़ियाह” में विस्तृत बयान की गई है कि दो इमामों का एक ज़माने में मुकर्रर (नियुक्ति) होना जाइज़ (उचित) नहीं है। इस विषय में बाज़ राफ़ज़ियों को इख़तिलाफ़ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जिस महेदी ने अपने महेदी होने का दावा किया है वह महेदी नहीं हो सकता क्यों कि महेदी अले० और ईसा अले० दोनों एक ज़माने में होंगे और महेदी अले० के ज़माने में धरती पर कोई काफ़िर बाक़ी नहीं रहेगा और पूरब से पच्छिम तक सब लोग मोमिन और मुखलिस (सदभावक) बन जायेंगे और पूरी धरती पर न कोई काफ़िर रहेगा और न ज़ालिम।

मैं कहता हूँ कि यह बात तुम लोग कहते हो कि महेदी और ईसा दोनों एक ज़माने में होंगे हालांकि महेदी अले० क्रियामत की अलामाते सुगरा (छोटी निशानियाँ यानि क्रियामत से बहुत पहले प्रकट होनी वाली निशानियों) में से हैं और ईसा अले० क्रियामत की अलामाते कुब्रा (बड़ी निशानियाँ जो क्रियामत के निकट प्रकट होंगी) में से हैं, और वह निशानियाँ दस हैं। अलामाते कुब्रा में पहली अलामत सूर्य का उसके मगरब से निकलना है और ईसा अले० का नुज़ूल (अनुलोम) उस के बाद है। अगर तुम कहें कि कौन सी हदीस से यह आवश्यकता साबित होती है कि अलामाते कुब्रा में पहली अलामत सूर्य का उस के गुरुब होने (डूबने) की जगह से तुलू होना (निकलना) है तो हम कहते हैं कि वह मुस्लिम की हदीस है जो हुज़ैफ़ा बिन उसैद अल-ग़फ़फ़ारी से रिवायत की गई है। हुज़ैफ़ा रज़ी० कहते हैं कि हम आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में रसूलुल्लाह सल्ला० तशरीफ़ लाये (पधारे) और आपने पूछा कि क्या बातें कर रहे हो, सब ने कहा कि हम क्रियामत का ज़िक्र (चर्चा) कर रहे हैं तब आंहरत सल्लम ने फ़रमाया कि क्रियामत हरगिज़ बर्पा (उपस्थित) न होगी जब तक कि तुम उस से पहले दस निशानियाँ न देख लें। फिर आपने ज़िक्र फ़रमाया दुखान (धुबें) का दज्जाल (एक व्यक्ती जो अंतिम काल में प्रकट होगा) का, दाब्बतुल अर्ज़ का सूर्य पश्चिम से निकलने का, ईसा अले० बिन मर्यम के नाज़िल होने का, याजूज माजूज के आने का, तीन ख़ुसूफ़ यानि भूकम्प और ज़मीन पर रहने वाले ज़मीन में धंसजाने का एक ख़सफ़ पूरबह का एक पश्चिम का और एक ज़ज़ीरय अरब का और उसके अंत में एक आग यमन से निकलने का ज़िक्र फ़रमाया जो लोगों को उन के महशर (प्रलय स्थान) की तपफ़ हांक ले जायेगी। एक दूसरी रिवायत में यह है कि एक आग अदन की धरती से निकलेगी जो लोगों को महशर की और हांक ले जायेगी। एक और रिवायत में दसवीं निशानी के बारे में यह है कि एक हवा होगी जो लोगों को दर्या में डाल देगी और यह हदीस मुस्लिम ने नक़ल की है। हज़रत अब्दुल्लाह हब्न उमर रज़ी० से रिवायत है उन्होंने ने कहा कि मैं ने

रसूलुल्लाह सल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे कि सब से पहले निशानियों में निकलने के एतिबार से सूर्य का मगरिब की ओर से निकलना और चाशत (जब सूरज ख़ूब उपर चढ़ आया हो) के समय लोगों पर दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना है और इन दोनों में से जो भी अपने साथ वाली निशानी से पहले हो दूसरी भी उसके पीछे करीब ही होगी। यह हदीस "मुस्लिम" ने नक़ल की है। ह० अबू हुरेरह रज़ी० से रिवायत है कहा उन्होंने ने कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फ़र्माया है कि तीन चीज़ें हैं वह जिस समय ज़ाहिर होजायेंगी तो किसी नफ़स को उसका ईमान लाना लाभ दायक नहीं होगा जो पहले से ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान की हालत में कोई नेक अमल नहीं किया था। वह तीन चीज़ों में से एक सूरज का पश्चिम से निकलना, दूसरा दज्जाल का आना और तीसरा दाब्बतुल अर्ज़ का आना। यह हदीस मुस्लिम और मिश्कात में बयान की गई है। इस तरह आयात और सरीह (स्पष्ट) रिवायात से पूरब और पश्चिम का इस्लाम और अदल (न्याय) से भर जाना ग़लत साबित होचुका। ह० नबी अले० ने ईसा अले० की सिफ़त में यह भी फ़रमाया है कि जिस समय वह आयेंगे सूवरों को मार डालेंगे और सलीब को विनष्ट कर डालेंगे और जिज़्या (कर) समाप्त करदेंगे। तफ़सीरे दुरर में यही वर्णन है। जिज़्या का समाप्त किया जाना और सलीब का तोड़ा डजाना कुफ़्रार के वजूद (उपस्थिति) पर ही होगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है "और हम ने लगादी उन के आपस में शत्रुता और बैर क्रियामत के दिन तक" (अल-माइदह-६४)। और अल्लाह तआला फ़रमाता है "और काफ़िर सदैव तुम से लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम को तुम्हारे धर्म से पलटा दें अगर उन में इसकी शक्ति हो" (२:२१७) उन की शत्रुता जो क्रियामत (महा प्रलय) तक जारी रहेगी इस की सूचना अल्लाह तआला ने दी है। "(ऐ मुहम्मद) अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब लोगों को एक उम्मत बना देता और अब तो वे सदैव आपस में विभेद

करते रहेंगे सिवाय उन के जिन पर तुम्हारा रब कृपा करे और इसी लिए तो उनको पैदा किया है। और पूरा हुआ वचन तुम्हारे रब (ईश्वर) का कि मैं भरुंगा नरक जिन्नत और बनी आदम सब से (११:११८)। "अल्लाह तआला फ़रमाता है" और हम ने पैदा किये हैं नरक के लिए अधिक जिन और इन्सान उन के दिल (हृदय) हैं लेकिन उन से समझते नहीं और उन को आंखें (नेत्र) हैं लेकिन उन से देखते नहीं और कान हैं लेकिन उन से सुनते नहीं, वह लोग चौपायों के समान हैं बल्कि उन से अधिक पथभ्रष्ट हैं और यही लोग बेख़बर हैं (७:१७९) अल्लाह तआला फ़रमाता है "और कहा (शैतान ने) कि मैं अवश्य लिया करुंगा तेरे बन्दों में से हिस्सय मुकर्ररा (निश्चित भाग्य)" (४:११८) यानी प्रति हज़ार में नौ सौ नन्यानवे (९९९) मनुष्य शैतान के भाग में आये हैं गुमराही और बातिल परस्ती के लिए और हज़ार में से एक मनुष्य अल्लाह का है सत्यता के मार्ग (हिदायत) पर रहने के लिए, तफ़सीरे मदारिक में इसी प्रकार लिखा है। अल्लाह तआला फ़रमाता है "और अधिकतर लोग तो ईमान लाने वाले नहीं अगरचे तू बहुत चाहे" (१२:१०३) और अल्लाह तआला का बचन ह "और थोड़े हैं मेरे बन्दों में आभारी" (३४:१३)। इसी प्रकार अल्लाह तआला के वचन अल्लाह गुमराह करता है ऐसी मिसाल से बहुत सारों को और हिदायत देता है बहुत सारों को (२:२६) के सम्बंध में "तफ़सीर कश्षाफ़" में लिखा है कि पस अगर तू कहे कि हिदायत पाने वाले कसरत (अधिकता) से किस प्रकार मौसूफ़ हुए जब कि उनकी सिफ़त (विशेषण) तो क़िल्लत (अल्पता) है, जैसा कि उनके बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है "और थोड़े हैं मेरे बन्दों में शुक्र गुज़ार," तो मैं कहता हूँ कि तफ़सीरे मदारिक में (इस सवाल के जवाब में) कहा गया है कि साहबाने हिदायत बजाते खुद (वे स्वयं) कसीर (बहुत) हैं और उनकी क़िल्लत (अल्पता) की सिफ़त जो बतलाई गई है वह अहले ज़लालत (गुमराह लोगों) की तेदाद को देखते हुए है क्योंकि थोड़े मोमिन भी

हकीकत में बहुत हैं अगरचे कि ज़ाहिर में थोड़े हैं। जैसा कि एक कवी कहा है:
 शरीफ़ अगरचे हैं कम बेश्तर दयार में हैं
 रज़ील अगरचे ज़्यादा हैं किस शुमार में हैं

यहाँ तक तफ़सीरे मदारिक की इबारत (लेख) है। तफ़सीरे कश्फ़ा में भी ऐसा ही बयान किया गया है, और नरसे कुरआनी (दलीले क़तई) के मुखाबले में कोई सबब बयान करना बातिल है और इल्मे उसूल का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला इस बात को अच्छी तरह जानता है। इस लिये ऐ आक़िल (बुद्धिमान) और आरिफ़ (ब्रहम ज्ञानी) खबरदार रह वहमी (भ्रम मूलक) और ज़न्नी (काल्पनिक) दलीलों से और अहाद हसानिया अहादीस से जो ग़रीब (अनोखी) और ज़ईफ़ (कमज़ोर) रिवायतों से भरी हुई हैं, और कुरआन में अल्लाह तआल के इस फ़रमान को देख:

- १) “और कहते हैं वह लोग जो नहीं जानते कि क्यों नहीं बातें करता हमसे अल्लाह या क्यों नहीं आती कोई निशानी हमारे पास, इसी तरह कहचुके हैं वह लोग जो उनसे पहले गुज़रे हैं इन्ही जैसी बातें, मिले जुले हैं उन सब के दिल, बेशक हम बयान करचुके निशानियाँ उन लोगों के लिये जो यक़ीन करते हैं।” (२:११८)
- २) “और उसके ज़रिये से हिदायत न पाई तो यह लोग अब कहेंगे कि यह तो क़दीमी झूट है। (४६:११)” इसी आयत के मज़मून के अनुसार मुन्किरीन ने झुटलाया और मान्ने वालों के क़तल के लिये फ़त्वे तलब किये।
- ३) “और ख़याल किया उन लोगों ने कि कोई बला नहीं आयेगी इस लिये अंधे और बहरे बन गये। (५:७१)

ह० महेदी अले० और ह० ईसा अले० के एक ज़माने में जमा न होने और एक दूसरे की इत्तिदा न करने पर हमारे लिये सब से क़वी दलील (शक्ति शाली तर्क) हज़रत पैग़म्बर अले० का यह क़ौल है कि “मेरी उम्मत किस तरह हलाक होगी जबकि मैं उसके शुरू (आरंभ) में हूँ, ईसा उसके अंत में हैं और महेदी मेरे अहले बैत से उसके दरमियान (मध्य) में हैं।” यह हदीस इन शब्दों में तफ़सीरे मदारिक में अल्लाह तआला के कौल “इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़फ़ीक व राफ़िउका इलैया –” (३:५५) के सम्बंध में बयान की गई है। तफ़सीरे दुरर में है कि नबी अले० ने फ़रमाया: “किस तरह हलाक होगी ऐसी उम्मत जिसके शुरू में मैं हूँ, महेदी उसके बीच में हैं और मसीह उसके अंत में हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक कजरौ (टेढ़ा चलने वाली) जमाअत होगी जो मुझ से नहीं है और मैं उस से नहीं हूँ।” एक रिवायत में है कि “फ़यज आवज” का अर्थ यह है कि महेदी अल० और ईसा अल० के दरमियान एक लंबा समय होगा जिसमें ऐसे लोग होंगे जो सुन्नत पर (अमल करने वाले) नहीं होंगे और उनका अमल अहले इस्लाम का अमल नहीं होगा। हज़रत नबी सल्लम ने उनके सम्बंध में फ़रमाया है कि न वह मुझ से हैं और न मैं उन से हूँ। इस तरह निश्कात के आख़िर में बयान किया गया है। सुनन अबू दाऊद में है कि ह० रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़रमाया “किस तरह हलाक होगी ऐसी उम्मत जिसके शुरू में मैं हूँ और उसके अंत में ईसा हैं और महेदी मेरे अहले बैत से उसके दरमियान में हैं और उन दोनों (महेदी अले० और ईसा अले०) के दरमियान एक कजरौ जमाअत होगी” यानि एक तवील ज़माना होगा। कुर्तुबी, सहीहुल मुस्लिम की “शर्ह मदारूल फ़ुज़ला” और शर्ह मिश्कात में ऐसा ही बयान किया गया है।

अगर आप कहें कि महेदी अले० और ईसा अले० दोनों एक ज़माने में ज़माने में जमा होने पर अगर लोग किसी हदीस को हुज्जत में पेश करें तो

तुम क्या कहोगे, तो हम कहते हैं कि जिस हदीस को वह लोग इस बात की हुज्जत (तर्क) समझते हैं वह हदीस जर्इफ़ है। अगर आप पूछें कि तुमने यह कहाँ से कहा कि वह जर्इफ़ (अप्रसिद्ध) है तो हम कहते हैं कि अहादीस के तआरुज़ (एक हदीस का विषय दूसरी हदीस के विषय के विरुद्ध होना) और उलमाए सलफ़ (पूर्वज विदवानों) के अक़वाल (कथन) से, जैसाकि शेख़ नजीबुद्दीन अबू मुहम्मद वाइज़ देहलवी ने कहा है और उसकी सराहत (व्याख्या) "शर्हुल मक़ासिद में" (अल्लामाह तुफ़्ताज़ानी रहे० १३१२-१३८९ ईसवी) ने करदी है और कहा है कि ईसा अले० महेदी अले० के साथ होने के विषय में कोई सहीह (प्रमाणिक) हदीस मर्वी (वर्णन की हुई) नहीं है सिवाय इस हदीस के कि नबी सल्ला० ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में से एक जमाअत हमेशा हक़ पर (सत्य के लिये) लड़ने वाली ग़ालिब (विजयी) रहेगी। इस लिये यह जो कहा जाता है कि ईसा अले० महेदी अले० की इक्त्तदा या महेदी अले० ईसा अले० की इक्त्तदा करेंगे, एक बे सनद (अप्रमाणित) बात है इस लिये उसपर विश्वास नहीं करना चाहिये। "शर्हुल मक़ासिद" के लेखक ने इस वचन के ज़रीए अपने पिछले वचन का खंडन किया है जो शर्हुल अकाइद में है वह यह कि ईसा अले० लोगों के साथ नमाज़ पढ़ेंगे और उनके इमाम होंगे और महेदी अले० उनकी इक्त्तदा करेंगे क्यों कि ईसा अले० अफ़ज़ल (सर्वोच्च) होंगे और उनकी इमामत ऊला (सर्वाचित) है, (इस वचन का अविश्वासनिय और अप्रमाणित होना खुद लेखक ने "शर्हुल मक़ासिद" में बयान करदिया है)

शेख़ नजीबुद्दीन अबू मुहम्मद वाइज़ देहलवी रहे० ने "शर्हुल मुस्लिम" यानि मदारूल फ़ुज़ला में साफ़ तौर पर लिखा है कि इस से (यानि अल्लामाह तुफ़्ताज़ानी के अपने पिछले वचन से पलट जाने से) मालूम हुआ कि जो हदीसे महेदी अले० और ईसा अले० के जमा होने और एक दूसरे की इक्त्तदा करने के विषय में मिलती हैं उनकी अस्नाद पिछले उलमा के पास सहीह नहीं हैं बल्कि

उनमें से अधिकतर (हदीसें) शेआ लोगों की वज़ा की हुई (मनगढ़न्त) हैं। अल्लाह उनको रुस्वा (निंदित) करे।

शेख़ नजीबुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्ला० के फ़रमान "क्या तुम ने सुना है एक शहर के बारे में जिसका एक जानिब (पक्ष) खुशकी में है और दूसरा पक्ष समुद्र में है" के बयान में कहा है कि शेआ ने गुमान किया है अल्लाह उनको रुस्वा करे कि यह हदीस महेदी के हक़ में है और कहते हैं कि इस जमाअत का अमीर भी महेदी है और उन्होंने ने तमस्सुक (ग्रहण) किया है उस हदीस से जो हुज़ैफ़ा रज़ी० से रिवायत की गई है अल्लाह तआला के क़ौल "उनके लिये रुस्वाई है दुन्या में और उनके लिये आख़िरत में अज़ाबे अज़ीम है" (२:११४) के ज़िक़ के बाद। अहले सुन्नत जमाअत के उलमा ने कहा है कि शेआ का यह तमस्सुक जर्इफ़ है क्यों कि नबी सल्ला० ने बनी इस्हाक़ का तक्बीर से (शहर कुस्तनतीनिया को) फ़तह करना (अधिकार कें करना) बयान फ़रमाया है, और महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्लम की पुत्री फ़ातिमा की औलाद से हैं और रसूलुल्लाह सल्ला० इसमाईल अले० की औलाद से हैं। यहाँ बहस व दलील तवील है इसलिये रिसाला "मख़ज़नुद-दलाइल" में देखलो।

ह० महेदी अले० के मुखालफ़ीन (विरोधी) कहते हैं कि महेदी अले० की जन्म भूमि मदीना में है और वह मक्का की तरफ़ से आयेंगे, जबकि इस महेदी की जन्म भूमि मदीना में नहीं बल्कि हिंद (भारत) में है इसलिये यह महेदी नहीं है। हम कहते हैं कि मदीना का शब्द हदीस में मुत्लक़ (सामान्य) है और इस मदीना से रसूलुल्लाह सल्ला० का मदीना नहीं समझा जासकता, जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: "वजाआ रजुलुम मिन अक्सा-इल- मदीनति यरआ" (२८:२०) (और आया एक शख्स दौड़ता हुआ शहर के सब से दूर के स्थान से)। इस आयत में मदीना का शब्द जो आया है उस से रसूलुल्लाह सल्ल० का मदीना होना लाज़िम नहीं आता।

हमारी दलील "इक़दुद-दुरर" में है कि महेदी अले० हुसेन रज़ी० इब्ने अली रज़ी० की औलाद (संतान) से हैं और उनका जन्मस्थान काबुल या हिन्द है, फिर वह मक्का की ओर जायेंगे और मक्का से गुज़रेंगे — इसके अंत तक रिवायत की है इसकी बैहकी ने "शोबुल-ईमान" में। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० से रिवायत है फ़रमाया कि महेदी अले० हुसेन रज़ी० की औलाद से मश्रिक (पूर्व) की ओर से निकलेंगे — (अंत तक हदीस) इस रिवायत को हाफ़िज़ अबू अब्दुल्लाह नुएम बिन हम्माद हाफ़िज़ अबू नुएम अस्फ़हानी और हाफ़िज़ अबुल क़ासिम तिब्रानी ने अपनी किताब मज्मआ में बयान किया है। इस से साबित हुआ कि हज़रत महेदी अले० की जन्म भूमि हिन्द में है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

- १) जब उसके ज़रीए से हिदायत नहीं पाई तो यह लोग अब कहेंगे कि यह तो क़दीम झूट (४६:११)
- २) "वह तो सिर्फ़ खयाल पर चलते हैं और सब नरी अटकलें दौड़ाते हैं। (१०:६६)

अगर मान लिया जाए कि मदीना से मुराद रसूलुल्लाह सल्ला० का मदीना है तो भी यह बात गुमान (सन्देह) से ख़ाली नहीं होगी और गुमान हुज्जत (शास्त्रार्थ) नहीं होता। अगर दो हदीसें बयान की गई हों और दोनों में तआरूज़ (एक दूसरे का विपरीत वचन) हो तो जब दोनों में तआरूज़ हुआ तो दोनो साक़ित (गिरी हुई) होंगी और उनके लिये कोई हुज्जत नहीं रहेगी। जिन हदीसों को हमने बयान किया है उन्ही को हमने तर्ज़ीह (प्राथमिकता) दी है क्यों कि ह० महेदी अले० ने पूरब ही से हिन्द में जन्म लिया। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहे० (वफ़ात ६३८ हिज़्री) ने अपनी पुस्तक "फ़ुतूहाते माक्किया" में फ़रमाया है:

"सावधान रहो कि ख़ातिमुल - औलिया प्रकट होने वाले हैं इस हाल में कि आरिफ़ों का इमाम कोई नहीं रहेगा। वह सैयद महेदी है जो आले अहमद से होगा वह हिन्दी तलवार है जिस समय (गुम्राही) को नष्ट करेगा। वह सूर्य (विलायत का) है जो (गुमराही के) काले बादल और (जहालत व ग़फ़लत की) तारीकी को दूर करेगा, वह भारी वर्षा की तरह होगा जिस समय फ़ैयाज़ी (दान शीलता) करेगा।

खातिमे नबूवत और ख़ातिमे विलायत की तशरीह

अगर आप कहें कि किस माना (अर्थ) में महेदी अले० को ख़ातिमे विलायत कहते हो, और अगर महेदी अले० ख़ातिमे विलायत हैं तो आपके बाद कोई वली नहीं होगा, हालाँकि आँहज़रत सल्ला० ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआला महेदी के ज़रीए दीन को ख़त्म (पूरा) करेगा जैसा कि हम से उसको प्रारंभ किया है। दूसरी बात यह है कि अगर महेदी अले० ख़ातिमे विलायत हैं जैसा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ख़ातिमे नबूवत थे तो आप सल्ला० के बाद नबूवत नहीं, इसी तरह महेदी अले० के बाद अगर विलायत नहीं होगी तो महेदी अले० के ज़हूर (प्रकटन) और उन की हिदायत (मार्ग प्रदर्शन) से क्या लाभ होगा?

हम कहते हैं कि इसका जवाब तो कठिन है लेकिन ह० महेदी अले० की हिदायत से यह बात हम पर स्पष्ट हुई है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की विलायत के ख़ातिम (पूर्ण कर्ता) हैं औलिया कि विलायत के ख़ातिम नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ला० के दो मक़ाम हैं यानि मक़ामे विलायत और मक़ामे नबूवत और इसी लिये आँहज़रत सल्ला० ने फ़रमाया है कि विलायत

अफ़ज़ल (सर्वोच्च) है नबूवत से, जैसा कि “मिरअतुल - आरिफ़ीन” में लिखा है यानि केवल रसूलुल्लाह सल्ला० की विलायत अफ़ज़ल है हर एक वली की विलायत नहीं, इस लिये इस बात को ग़ौर व फ़िक्र के साथ समझलो।

दूसरा जवाब यह है कि विलायत दो प्रकार की होती है यानि विलायते मुत्लक़ा और विलायते मुक़ैयदह। हज़रत महेदी अले०- बिलायते मुक़ैयदह (विशिष्ट और असाधारण विलायत) के ख़ातिम हैं और ह० ईसा अले० विलायते मुत्लक़ा (साधारण विलायत) के ख़ातिम हैं, इस लिये ईसा अले० के बाद कोई वली नहीं होगा।

शेख़ इब्ने अरबी रह० ने अपनी तसानीफ़ (रचनाओं) में जो लिखा है वह बात सहीह साबित हुई है कि ख़त्मे विलायत दो ख़ातिमों से है, एक ख़ातिम वह है जिस से अल्लाह तआला “विलायते मुत्लक़ा” को ख़त्म करेगा और दूसरा ख़ातिम वह है जिस से अल्लाह तआला “विलायते मुक़ैयदह मुहम्मदियह” को ख़त्म करेगा। विलायते मुत्लक़ा के ख़ातिम ईसा अले० हैं जो वली हैं नबूवते मुत्लक़ा के साथ इस उम्मत के ज़माने में जो उनके और नबूवते तशरीई और रिसालत के बीच हाइल हुआ है, इस लिये वह अंतिम काल में वारिस और ख़ातिमे विलायते मुत्लक़ा बनकर नाज़िल होंगे और उनके बाद कोई वली नहीं होगा। इस अग्र (विषय) का आरंभ भी एक नबी से है और वह आदम अले० हैं और इसका अन्जाम (अंत) भी एक नबी पर है जो ईसा अले० हैं जो वारिस और ख़ातिम होंगे यानि अम्बिया की नबूवत के वारिस और विलायते मुत्लक़ा के ख़ातिम (समाप्त कर्ता) होंगे। इस लिये ईसा अले० के दो हश्र (प्रलय) होंगे, एक हश्र हमारे (यानि औलिया अल्लाह के) साथ और एक हश्र अम्बिया और रुसुल (पैग़म्बरों) के साथ होगा। लेकिन ख़ातिमे विलायते मुक़ैयदह मुहम्मदियह तो एक सम्मानित पुरुष हैं जो आखिर ज़माने में हिन्द से आर्येंगे और वह रोशन पेशानी, बुलंद बीनी (उच्च नाक) और पेवस्ता अब्रू वाले होंगे, अख़लाक़

में रसूलुल्लाह सल्ला० के समान होंगे और जन्म में आप के साथ मुशाबेह नहीं होंगे। अल्लाह तआला उनको एक रात या दो दिन में तैयार करदेगा और उनके लिये बहुत सी अलामतें (लक्षण) होंगी जैसा कि नबी अले० ने ख़बर दी है: “और छिपाकर रखा है हक़ तआला ने उन अलामतों को महेदी की ज़ात में लोगों की आंखों से उनकी परीक्षा के लिये कुबूल करने या इन्कार करने में, और पर्दह हटा दिया उन अलामतों पर से मेरे लिये अल्लाह ने यहाँतक कि मैं ने ख़ातिमे विलायत को देख लिया। और वही महेदी हैं जिनसे विलायते मुक़ैयदह मुहम्मदियह ख़तम होगी और वह आखिर ज़माने में निकलेंगे उन अलामतों के साथ जिनकी नबी अले० ने सूचना दी है। बहुत से लोग उनको नहीं पहचानेंगे और बहुत से लोग उनपर ईमान नहीं लायेंगे। अल्लाह तआला उन इन्कार करने वालों की परीक्षा लेगा उन उमूर में जो उनके लिये हक़ की तरफ़ से साबित होंगे उनके ज़ाहिर और बातिन में। जैसा कि अल्लाह तआला ने नबूवते तशरीई को मुहम्मद सल्ला० से ख़तम किया है उसी तरह महेदी अले० से उस विलायत को ख़तम करेगा जो विरासते मुहम्मदी से हासिल होगी, उस विलायत को नहीं जो दूसरे अम्बिया से हासिल होगी क्यों कि औलिया अल्लाह में जो इब्राहीम अले०, मूसा अले० और ईसा अले० के वारिस होते हैं वह सब इस ख़त्मे विलायते मुहम्मदी के बाद पाए जायेंगे और कोई वली विलायते मुहम्मदियह से सम्बंध रखने वाला नहीं पाया जायेगा। ख़त्मे विलायते मुहम्मदियह का यही अर्थ है। लेकिन ख़त्मे विलायते आम्मा (साधारण विलायत की समाप्ति) जिसके बाद कोई वली नहीं पाया जायेगा तो वह ईसा अले० हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है “जिस दिन आजाएगा एक निशान तेरे रब का तो काम नहीं आएगा ईमान लाना किसी को जो पहले से ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान की हालत में कुछ नेकी नहीं की थी” (६:१५८) यानी काफ़िरों का मोमिन होना और मुनाफ़िकों का मुखलिस होजाना नफ़ा (लाभ) नहीं देगा। अगर आप यह कहें कि काफ़िरों का मोमिन होना और मुनाफ़िकों

का मुखलिस होना लाभ दायक नहीं होगा तो फिर ईसा अले० के नुजूल (नीचे उतरने) से क्या फ़ाइदह, तो हम कहेंगे कि उनके निजूल का फ़ाइदह ऐसे मुसलमानों की रहनुमाई (मार्ग दर्शन) है जो खुदा की तलब रखते हैं लेकिन विसाल (मिलन) का मर्तबा नहीं पाए हैं, और (दूसरा लाभ यह है कि) मुसलमानों से बिदअत और गुमराही को निकाल देना। इमाम महेदी मौऊद अले० ने फ़रामाया है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को काफ़िरों पर मबऊस किया (भेजा) है ताकि कुफ़्र को जड़ से उखाड़ दे और इस्लाम को ज़ाहिर करे ताकि अल्लाह का दीन सब पर ग़ालिब (बिजयी) होजाये, जेसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है “उसी ने भेजा अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर ताकि उसको ग़ालिब करे हर दीन पर” (९:३३) और अल्लाह ने हमको भेजा अपने रसूल सल्ला० की उम्मत पर ताकि हम हिदायत करें अल्लाह की तरफ़ और अल्लाह की किताब पर अमल करें और उसके हबीब (प्रिय) मुहम्मद सल्ला० की पैरवी (अनुकरण) करें, और अल्लाह तआला भेजेगा ईसा अले० को हमारी क़ौम पर जो महेदवी होने का इक्रार करेगी, उनमें कुछ बिदअतें (नई रीतियाँ) पाई जायेंगी जिनको ईसा अले० दूर करदेंगे और उनको अल्लाह से इश्क व मुहब्बत के मक़ाम तक पहुंचायेंगे बल्कि उनको मुशाहदा और दीदार (दर्शन) के मक़ाम तक पहुंचादेंगे। इसके उत्तिरिक्त ईसा अले० के नुजूल का फ़ाइदह लहू व लइब (मनो विनोद) और गाने बजाने के आलात को तोड़ना है। उनकी नमाज़ ऐसे इमाम के साथ होगी जो महेदी अले० का ताबे (अनुचर) होगा। अल्लाह तआला के वअदे के मुवाफ़िक़ जहाँ कहीं वह पाया जाये ताकि दीने हक़ को सब दीनों पर ग़ालिब करे इसके अलावा ईसा अले० के ज़मोने में अगर कोई बालक मुसलमान हुआ तो उसका इस्लाम स्वीकार होगा, और सूर्य उसके डूबने की जगह से निकलने के समय अगर कोई बालक हो और वह सूर्य तुलूअ होने के बाद बालिग़ (वयस्क) हो या तुलूअ होने के बाद पैदा हो फिर बालिग़ हो और इस्लाम स्वीकार करे तो उसकी तौबह (पश्चात्ताप करना) उसका इस्लाम मक़बूल (स्वीकार) होगा।

अगर आप पूछे कि यह बात तूम कहाँ से कहते हो कि बालक का इस्लाम ईसा अले० के समय में स्वीकार होगा जबकि वह भी स्वीकार नहीं होना चाहिये, क्यों कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिस दिन आजाएगा एक निशान तेरे रब का काम नहीं आयेगा ईमान लाना किसी को, फिर बालक का ईमान कैसे स्वीकार होगा?

हम कहते हैं कि इस आयत में ईमान से मुराद बालिग (वयस्क) काफ़िर का ईमान है बालक पर तकलीफ़ (ईमान लाने की ज़िम्मेदारी) नहीं और न वह उस समय मुनकिर होगा, इस लिये उसका ईमान क़बूल होगा। इस बात की ताईद (समर्थन) तफ़सीर अब्बासी से भी होती है जिसमें अल्लाह तआला के फ़रमान “जिस दिन आजायेगा तेरे रब का एक निशान” के सम्बंध में लिखा है कि इसका अर्थ यह है कि सूर्य पश्चिम से निकलने के बाद किसी को ईमान लाना काम नहीं आयेगा जो पहले से ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान की हालत में कुछ नेकी नहीं की थी और अपने ईमान को शुद्ध नहीं करलिया था और नेक अमल नहीं किया था सूर्य पश्चिम से निकलने से पहले, क्योंकि कोई काफ़िर जब सूरज को पश्चिम से निकलता हुआ देखकर मुसलमान होजाये तो उसका ईमान या अमल या तौबह कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, मगर उस दिन जो कमसिन हो या उस घटना के बाद जन्म ले और अगर वह सूरज पश्चिम से निकलने के बाद भी दीने बातिल (असत्य धर्म) से पलट जाये और इस्लाम क़बूल करले तो उसका इस्लाम क़बूल होगा, और जो कोई मोमिन गुनाहगार हो और तौबह करे गुनाहों से तो उसकी तौबह क़बूल होगी नबी अले० के इस वचन के कारण कि जो कोई मोमिन गुनाहगार था और उसने उस समय तौबह करली, या कमसिन हो या उस घटना के बाद जन्म ले तो उनका ईमान, उनकी तौबह और उनका अमल लाभ दायक होगा।

अल्लाह ही हिदायत देने वाला है और उसी से दुआ है नम्रता के साथ।